न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

पीठासीन अधिकारी :- सुभाष कुमार आरएएस

प्रकरण सं0:- 203/19

1. गुरवीर सिह पुत्र जसवीर सिह जाति रामगढिया निवासी 7 सीसी तहसील पदमपुर जिला श्रीगगानगर।

—वादी—

वनाम्

1. जसवीर सिह पुत्र रामवीर सिह जाति रामगढिया निवासी 7 सीसी तहसील पदमपुर जिला श्रीगगानगर।
2. रामवीर सिह पुत्र जगीर सिह जाति रामगढिया निवासी 7 सीसी तहसील पदमपुर जिला श्रीगगानगर।
3. समनदीप कौर पुत्री जसवीर सिंह जाति रामगढिया निवासी 7 सीसी तहसील पदमपुर जिला श्रीगगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर

प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 53,88, आरटीए

दिनांकः— 24/10/19

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पदमपुर तहसील के चक 7 सीसी की जमाबन्दी सम्वत 2070—2073 के खाता सं0 39/31 के मुरबा नं0 12 का किला नं0 16 ता 25/2.530 है0 नहरी भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं0 1 के तीन वारिस है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 है। प्रतिवादी सं0 2 वादी का दादा है प्रतिवादी सं0 1 को उक्त भूमि अपने पिता से विरास्तन प्राप्त हुई है जिसमें मुझ वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। जिसे वादी प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रतिवादी सं0 3 मुझ वादी की बहिन है जो उक्त वादाधीन भूमि मे से अपना हिस्सा प्राप्त करना नही चाहती तथा प्रतिवादी सं0 2 जो मुझ वादी का दादा है जिनके नाम अन्य चकों में कृषि भूमि है इसलिए प्रतिवादी सं0 2 भी उक्त वादाधीन भूमि में से अपना हिस्सा प्राप्त करना नहीं चाहते है। इसलिए उक्त वादाधीन भूमि में मुझ वादी का प्रतिवादी सं0 1 से साथ 1/2 हिस्सा बनता है। जिसमें मैं प्राप्त करने का अधिकारी हूँ। मुझ वादी के पास मुरबा नं0 12 के किला नं0 16 से 20/1.265 है0 रकबा है। जो मेरे कब्जा काश्त है और उक्त किला नम्बर मैं अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। आज से लगभग 4—5 रोज पूर्व जब मैंने प्रतिवादी सं0 1 को भूमि अपने नाम करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी सं0 1 इन्कार हो गया यही इन्कारी ही वाद कारण है। वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र वादी निम्न प्रकार से डिग्री

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

फरमाया जावें। प्रतिवादी सं0 1 के नाम पदमपुर तहसील के चक 7 सीसी की जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता सं0 39/31 के मुरबा नं0 12 का किला नं0 16 ता 25/2.530 है0 नहरी भूमि में से मुझ वादी को प्रतिवादी सं0 1 के साथ साथ 1/2 हिस्से का खातेदार मालिक घोषित किया जावें व मुरबा नं0 12 के किला नं0 16 ता 20/1.265 है0 नहरी भूमि के किलावाईज विभाजन की डिक्री पारित की जावें व रकबा अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण व वादी स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा पदमपुर तहसील के चक 7 सीसी की जमाबन्दी सम्वत 2070-73 के खाता सं0 39/31 के मुरबा नं0 12 के किला नं0 16 ता 25 की 2.530 है0 नहरी भूमि में से वादी को प्रतिवादी सं0 1 के साथ-साथ 1/2 हिस्सा का खातेदार मालिक घोषित किया जाता हैं व मुरबा नं0 12 के किला नं0 16 ता 20 की 1.265 है0 नहरी भूमि की किलेवाईज विभाजन की डिक्री पारित की जाती है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उजर व एतराज नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र राजीनामा के आधार पर किला वाईज विभाजन व खातेदार मालिक घोषित किया जाता है। तहसील पदमपुर के चक 7 सीसी की जमाबन्दी सम्वत 2070-73 के खाता सं0 39/31 के मुरबा नं0 12 के किला नं0 16 ता 25 की 2.530 है0 नहरी भूमि में से वादी गुरवीर सिंह पुत्र जसवीर सिह जाति रामगढिया को प्रतिवादी सं0 1 जसवीर सिह पुत्र रामवीर सिंह जाति रामगढिया के साथ-साथ 1/2 हिस्सा का खातेदार मालिक घोषित किया जाकर मुरबा नं0 12 के किला नं0 16 ता 20 की 1.265 है0 नहरी भूमि की किलेवाईज विभाजन की डिक्री पारित की जाती हैं। यदि उक्त भूमि बैंक में रहन दर्ज हो तो खातेदारान के संयुक्त खाते में अंकित हिस्से में बदलाव की स्थिति में बैंक से एनओसी जारी होने के बाद निर्णय की पालना की जावे। खातेदारान के हक हिस्से में बदलाव होने की दशा में संबंधित खातेदार के खाते में बैंक का रहन यथावत दर्ज रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 24/10/19 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2020.02.12 12:03:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: